न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 92/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, कोटकासिम जरिये ओमप्रकाश किन्ना प्रभारी अधिकारी हाल पद तहसीलदार,कोटकासिम

:---- अपीलांट

बनाम

1 बलवन्त

2 महासिंह

3 मोहरसिंह पुत्रान केशूराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:---- वादी रेस्पो0

4 निरंजन

5 महेन्द्र पुत्रान सुरजन सिंह

6 मैना पुत्री सुरजन सिंह

7 जगमाल

8 कालिया

9 छोटा

10 सम्पत पुत्रान चुनिया जाति अहीर निवासीयान ग्राम बोलनी तहसील व जिला रिवाडी हरियाणा :------ प्रतिवादी रेस्पो0

11 धर्मवीर दत्तक पुत्र पतराम

12 उदयसिंह पुत्र रामस्वरूप
जाति अहीर निवासीयान ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:----- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 15.4.2011

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अमर चन्द चौधरी

(राजकीय अभिभाषक)

2. वकील वादी रेस्पो0 :– श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 05.03.2021

------ ----------

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/07 में पारित निर्णय दिनांक 15.4.2011 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कियाकि आराजी साबिक खसरा नम्बर 32 मिन रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा, 33 मिन रकबा 14 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम हाल नम्बर 53 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ला0 5 के पिता चुनिया की खातेदारी की आराजी थी । जिस पर वादीगण का पिता केशुराम व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता काश्त करते थे । तरतीबी प्रतिवादीगण से उक्त आराजी का बटवारा होकर तन्हा वादीगण के हिस्से में आई । वादीगण का कब्जा लगातार 12 साल से ज्यादा से चला आ रहा है । असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । वादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं । परन्तु राजस्व रेकार्ड में असल प्रतिवादीगण के नाम का अंकन कर दिया गया है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत की गई है ।

3 राज्य सरकार (अपीलांट) की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कहना है कि विभागीय स्वीकृति आदि के कारण अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है । अतः देरी को माफ किया जावे । उनका आगे तर्क है कि तहत अदालत में वादीगण ने अपीलांट भूमिधारी को पक्षकार नहीं बनाया है । अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । विवादित भूमि में राज्य सरकार का हित है । इसलिये धारा 96 सी0 पी0 सी0 के तहत यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलाधीन निर्णय के कारण धारा 42 आर0 टी0 एक्ट का

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उल्लंघन हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2014 में साबिक आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा अमरसिंह मीणा वगैरा की गैर खातेदारी में दर्ज है । जमाबन्दी सम्वत 2022 में उमरावसिंह मीणा वगैरा खातेदार और बकाश्त केशुराम अहीर वगैरा दर्ज है । जमाबन्दी सम्वत 2014 में साबिक खसरा नम्बर 33 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा पर जंगी अहीर गैर खातेदार साल 3 तथा जमाबन्दी सम्वत 2022 में छाजू वगैरा अहीर खातेदार वाया उमराव वगैरा अहीर का अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2029 एवं हाल जमाबन्दी में हाल खसरा नम्बर 53 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा सुरजन वगैरा मीणा की खातेदारी दर्ज है । इस प्रकार विवादित भूमि अनुसूचित जन जाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि है, जिस पर सवर्ण जाति के सदस्य अहीर को खातेदारी नहीं दी जा सकती । इससे धारा 42 आर0 टी0 एक्ट उल्लंघन हुआ है । प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 4 ला0 6 के पिता एवं प्रतिवादी रेस्पो0 7 ला0 10 ने अपनी जाति मीणा न होकर अहीर होने के सम्बन्ध में कोई दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत नहीं कराई है ।खसरा गिरदावरी में कब्जा दर्ज होने से खातेदारी नहीं दी जा सकती । अपीलाधीन निर्णय राजस्थान टिनैंसी एक्ट एवं राज0 लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानो के विपरीत है । अत अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 वादी का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर है । इसलिये मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे । धारा 42 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है । गलती से मीना अंकित हो गया है । वास्तव में जाति से अहीर है । हमारे पक्ष में राजीनामा भी प्रस्तुत हुआ है । हमने राज्य सरकार के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाही है । इसलिये हम राज्य सरकार को पार्टी क्यों बनाते । विवादित आराजी पर हमारा एडवर्स पजेशन साबित है । हमको सही तौर पर खातेदार घोषित किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान वकील असल रेस्पो0 वादी ने अपनी बहस के समर्थन में 2018 आर0 आर0 टी0, 2009 आर0 आर0 टी0 (एस0सी0), 2006 आर0 आर0 टी0 का हवाला दिया ।

5 जवाब बहस में विद्वान राजकीय अभिभाषक का पुनः कहना है अगर गलती से मीना जाति राजस्व रेकार्ड में अंकित कर दी गई थी तो पहले धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत दुरूस्ती करवाते । एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती । धारा 42 आर0 टी0 एक्ट का उल्लंघन हुआ है । इसलिये राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम धारा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र पर गौर किया। चूंकि पैरोकार सरकार लैंड होल्डर है और उन्होंने अपीलाधीन निर्णय धारा 63 एवं धारा 42 आर0 टी0 एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होना बताया है । ऐसी स्थिति में हम राज्य सरकार को सुनना न्यायोचित समझते हैं । लिहाजा धारा 96 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

7 इसके पश्चात मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । चूंकि राज्य सरकार अपीलांट तहत अदालत में पक्षकार नहीं थी । अतः नरम रूख अपनाया जाकर देरी को कंडोन किया जाता है ।

8 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । जमाबन्दी सम्वत 2010 में रेस्पो0 वादी बलवन्त वगैरा की खुदकाश्त दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2034 प्रदर्श-6 में विवादित भूमि पर सुरजन वगैरा जाति मीना की खातेदारी तथा बकाश्त मोहर सिंह अहीर की दर्ज है। खसरा गिरदावरी 2030-33 में मोहर सिंह अहीर की काश्त दर्ज है। जागीर आय सम्वत 2018 में प्रतिवादीगण को खातेदार तथा बकाश्त केसूराम वगै0 की दर्ज की हुई है। जो कि प्रदर्श-2 है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2015-18 में काश्त वादीगण असल रेस्पो0 के पिता की दर्ज है। अन्य राजस्व रेकार्ड में भी वादीगण असल रेस्पो0 की काश्त है।

9 अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में प्रतिवादीगण की जाति मीना है अथवा अहीर ? इस संबंध में हमने तहत पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न मूल निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र में प्रतिवादीगण असल की जाति अहीर अंकित है। मेजरनामा ग्रामवासी बोलनी तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा) में ग्रामवासियों ने लिख कर दिया है कि चुनिया वगैरा जाति मीना नाम से व्यक्ति कभी गांव में नहीं रहे और ना ही फिलहाल है। इन दोनों चुनिया पुत्र खूबा एंव सुरजन पुत्र उमराव की असल सही जाति अहीर है। स्वर्गीय सुरजन पुत्र उमराव जाति अहीर के वारिसान ग्राम बोलनी के ही वासिन्दे है, जबकि स्वर्गीय चुनिया पुत्र खूबा जाति अहीर के वारिसान अपने पिता के जीवनकाल में ही करीब 40-50 साल पूर्व बोलनी गांव छोडकर ग्राम सालेहड़ा तहसील तिजारा में जाकर बस गये। पटवारी फार्म 36 की नकल प्रस्तुत की गई, जिसमें पक्षकारान का सजरा दिया हुआ है। इसमें भी असल प्रतिवादीगण की जाति अहीर दर्ज की गई है। असल प्रतिवादीगण ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदे
राजस्व अपील अधिकारी, अल.

वादीगण के पक्ष में दिनांक 22.06.2007 को इकबाला दावा पेश कर वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है और उन्होने इस इकबाला दावा में अपनी जाति अहीर दर्ज की है। पक्षकारान में एक राजीनामा भी हुआ था, जिसमें पक्षकारान ने निवेदन किया था कि विवादित आराजी पर बेरोक टोक वादीगण का ही सदैव से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। असल प्रतिवादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज कर दिया गया था। इस राजीनामा का जिक्र माननीय राजस्व मण्डल ने निगरानी सं0 104(4237)/2004 में पारित अपने निर्णय दिनांक 23.02.2007 में किया है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया था कि पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा एंव साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करें।

10 उपरोक्त समस्त दस्तावेजों एंव तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह सिद्ध है कि असल प्रतिवादीगण की जाति मीना न होकर अहीर है और विवादित भूमि पर वादीगण असल रेस्पो0, जो कि जाति अहीर है, का कब्जा काश्त सदैव से ही चला आ रहा है। जिस सूरत में वादीगण असल रेस्पो0 का एडवर्स पजेशन (कब्जा मुखालफाना) सिद्ध है और वे इसके आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। राज्य सरकार अपीलांट का यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है कि धारा 42 आर0टी0एक्ट0 उल्लंघन हुआ है, क्योंकि प्रस्तुत दस्तावेजो से यह सिद्ध हो चुका है कि असल प्रतिवादीगण की जाति मीना न होकर अहीर है।

11 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है। लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

12 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.04.2001 यथावत रखे जाते है।

13 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)

भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार साँखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 92/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, कोटकासिम जरिये ओमप्रकाश किन्ना प्रभारी अधिकारी हाल पद तहसीलदार,कोटकासिम

:---- अपीलांट

बनाम

13 बलवन्त

14 महासिंह

15 मोहरसिंह पुत्रान केशूराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:---- वादी रेस्पो0

16 निरंजन

17 महेन्द्र पुत्रान सुरजन सिंह

18 मैना पुत्री सुरजन सिंह

19 जगमाल

20 कालिया

21 छोटा

22 सम्पत पुत्रान चुनिया जाति अहीर निवासीयान ग्राम बोलनी तहसील व जिला रिवाडी हरियाणा :------ प्रतिवादी रेस्पो0

23 धर्मवीर दत्तक पुत्र पतराम

24 उदयसिंह पुत्र रामस्वरूप
जाति अहीर निवासीयान ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:----- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 15.4.2011

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री अमर चन्द चौधरी

(राजकीय अभिभाषक)

2. वकील वादी रेस्पो0 :- श्री जनार्दन शर्मा

पर्चा डिक्री दिनांक 05.03.2021

------ ----------

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.2001 यथावत रखे जाते है।

(अशोक कुमार सांखला)

भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 92/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, कोटकासिम जरिये ओमप्रकाश किन्ना प्रभारी अधिकारी हाल पद तहसीलदार,कोटकासिम

:—— अपीलांट

बनाम

13 बलवन्त

14 महासिंह

15 मोहरसिंह पुत्रान केशूराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:—— वादी रेस्पो0

16 निरंजन

17 महेन्द्र पुत्रान सुरजन सिंह

18 मैना पुत्री सुरजन सिंह

19 जगमाल

20 कालिया

21 छोटा

22 सम्पत पुत्रान चुनिया जाति अहीर निवासीयान ग्राम बोलनी तहसील व जिला रिवाडी हरियाणा :——— प्रतिवादी रेस्पो0

23 धर्मवीर दत्तक पुत्र पतराम

24 उदयसिंह पुत्र रामस्वरूप

जाति अहीर निवासीयान ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:——— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिकी उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 15.4.2011

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 5.3.2021

संशोधन दिनांक 6.5.2021

वकील रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर अपील पत्रावली तलब की गई । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अदालत हाजा द्वारा इस अपील में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.3.2021 के अन्त में टंकणीय भूल के कारण तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.4.2011 के स्थान पर 15.4.2001 टंकित हो गई है, जिसे दुरूस्त किया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर गौर किया । पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि इस अपील में अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 5.3.2021 के अन्त में तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.4.2001 के स्थान पर दिनांक 15.4.2011 पढी जावे ।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर